न्यायालयः—भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, (म.प्र.)

RCT- 1946 /2026
Filing No-RCT- 9812 /2026
C.N.R. No- MP0701-013195 -2026
Filing Date- 11/06/2026

पुलिस थाना मुरार, जिला ग्वालियर, म0प्र0 के अपराध कमांक 113/2026 अन्तर्गत धारा 296, 115(2), 351(3), 117(2) भारतीय न्याय संहिता से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।

— निर्णय —
— आज दिनांक 11.06.2026 को पारित —

शिकायतकर्ता	म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना मुरार, जिला ग्वालियर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**आकाश बाल्मीकि पिता प्रकाश बाल्मीकि, उम्र— 26 वर्ष, निवासी— लेदर फैक्ट्री, सी.पी. कॉलोनी, थाना— मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र.।**
अधिवक्ता	श्री अनुराग वर्मा।

फॉर्म—ई

घटना दिनांक	05.03.2026
प्रथम सूचना दिनांक	05.03.2026
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	11.06.2026
आरोप/अपराध विवरण दिनांक	11.06.2026
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	11.06.2026
निर्णय सुरक्षित के लिए दिनांक	11.06.2026
निर्णय दिनांक	11.06.2026
दंडादेश दिनांक, यदि कोई हो तो	—

अभियुक्त/अभियुक्त का विवरण–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की दिनांक	अपराध, जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडोदेश	धारा 468 भा.ना.सु.सं. के अभियोजार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	आकाश बाल्मीकि	धारा 35(क) बी.एन.एस.ए स. का नोटिस	निरंक	धारा 296 भारतीय न्याय संहिता	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

–अभियोजन साक्षियों की सूची–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	जितेन्द्र	फरियादी

– बचाव साक्षी/साक्षीगण, यदि हो तो –

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

–न्यायालयीन साक्षी, यदि हो, तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क– अभियोजन

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 01/अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02/अ.सा.01	नक्शा मौका

3	प्रदर्श पी 03/अ.सा.01	साक्षी जितेन्द्र का पुलिस कथन

ख– प्रतिरक्षा

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निंरक	निंरक	निंरक

ग– न्यायालयीन प्रदर्श

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ– आवश्यक वस्तुएं

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

//निर्णय//
(आज दिनांक 11.06.2026 को घोषित)

01– अभियुक्त पर **धारा 296 भारतीय न्याय संहिता** के तहत आरोप है कि, अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2026 को लगभग 17:00–17:30 बजे के मध्य थाना मुरार अंतर्गत स्थित लैदर फैक्ट्री के पीछे, मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र बाल्मीकि को लोकस्थान अथवा उसके निकट मॉ बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, ऐसा कर आपने वह अपराध कारित किया।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि, फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 117(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय अभियुक्त के संबंध में धारा 296 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में किया जा रहा है।

03– अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में अपराध करना अस्वीकार किया है।

04— अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि, दिनांक 05.03.2026 के शाम करीबन 5 बजे वह घर पर था, तभी उसका छोटा भाई आकाश बोला कि, वह इस झोपड़ी से निकल जा, वह यहां नहीं रहेगा तो उसने बोला कि, यह उसका भी घर है। इसी बात पर वह उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, जब उसने गालियां देने से मना किया तो उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी, जिससे उसकी बायीं तरफ पसली में मुंदी चोट आई एवं दाहिने हाथ की उंगली में चोट होकर खून निकलने लगा। घटना आसपास के लोगों ने देखी व बीच बचाव कराया। उसका भाई आकाश बोल रहा था कि, उसने अगर थाने पर रिपोर्ट की तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरार में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 113/2026 धारा 296, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 117(2) का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— उक्त तथ्यों के आधार पर मामले में निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :—

1— क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2026 को लगभग 17:00—17:30 बजे के मध्य थाना मुरार अंतर्गत स्थित लैदर फैक्ट्री के पीछे, मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र बाल्मीकि को लोकस्थान अथवा उसके निकट मॉ बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2— दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—:: **सकारण निष्कर्ष** ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

06— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा—296 का अपराध सिद्ध पाये जाने के लिये न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि, क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2026 को लगभग 17:00—17:30 बजे के मध्य थाना मुरार अंतर्गत स्थित लैदर फैक्ट्री के पीछे, मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र बाल्मीकि को लोकस्थान अथवा उसके निकट मॉ बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ? तो उक्त संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी

जितेन्द्र (अ.सा.01) ने न्यायालयीन कथन के दौरान व्यक्त किया है कि, वह आरोपी को जानता है। आरोपी उसका भाई है। घटना करीब 3 माह पहले शाम के 5–6 बजे की है। घटना दिनांक को उसका, उसके भाई आकाश से मामूली बात को लेकर मुंहवाद हो गया था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मुरार पर की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लेखबद्ध किये थे एवं उसका मेडीकल हुआ था।

07– अभियोजन द्वारा न्यायालय की अनुमति से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न करने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि, अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थीं। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों को अस्वीकार करते हुए पुलिस कथन प्र.पी.03 देने से भी इंकार किया है।

08– मामले में महत्वपूर्ण तथ्य है कि, जो व्यक्ति मामले में फरियादी/आहत है, स्वयं उसी के द्वारा अभियोजन मामले का उक्त बिन्दू पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी जितेन्द्र (अ.सा.01) उसके कथनों पर स्थिर नहीं रहा है, इस प्रकार उक्त साक्षी के अतिरिक्त इस विषय पर अन्य कोई भी महत्वपूर्ण साक्षी नहीं हो सकता है। अतः अभिलेख पर ठोस एवं प्रबल का साक्ष्य का अभाव होने से तथा ऐसी कोई भी तथ्य प्रकट ना होने से जो कि, आहत को अथवा अन्य व्यक्ति को क्षोभ कारित करते हों, अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह के आधार उत्पन्न करते हैं तथा उक्त संपूर्ण मामले को संदेहास्पद बनाते हैं। फलतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2026 को लगभग 17:00–17:30 बजे के मध्य थाना मुरार अंतर्गत स्थित लैदर फैक्ट्री के पीछे, मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र बाल्मीकि को लोकस्थान अथवा उसके निकट मॉ बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, ऐसा कर आपने वह अपराध कारित किया।

विचारणीय बिंदु कमांक 2 के संबंध में

09— अतः उपरोक्त वर्णित संपूर्ण विवेचना एवं निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि, अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2026 को लगभग 17:00—17:30 बजे के मध्य थाना मुरार अंतर्गत स्थित लैदर फैक्ट्री के पीछे, मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी जितेन्द्र बाल्मीकि को लोकस्थान अथवा उसके निकट मॉ बहिन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। फलतः अभियुक्त **आकाश बाल्मीकि** को धारा 296 भारतीय न्याय संहिता में दोषसिद्ध न पाये जाने से तदानुसार उक्त अपराध में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त को धारा 117(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में पूर्व में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

10— अभियुक्त के अनुसंधान, जांच, विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहने संबंधी प्रमाणपत्र अंतर्गत **धारा—468 भा.ना.सु.सं.** पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—

(भूपेन्द्र सिंह कुशवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर, म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/—

(भूपेन्द्र सिंह कुशवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर, म.प्र.

BHUPENDRA SINGH KUSHWAH

Digitally signed by BHUPENDRA SINGH KUSHWAH
Date: 2026.06.11 17:57:22 +0530